

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण

बनाम

विपक्षी : श्रीमती उदीबाई व अन्य

किरम मुकदमा - 128 मूराजस्य अधिनियम

पत्रावली संख्या : 61/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 26.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 6 व 8 की तरफ से वकालत पत्र अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र खारिवाल द्वारा पेश किया गया साथ विपक्षी संख्या 1 से 6 व 8 की तरफ से पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 7 व 9 के सम्मन बाद शामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 7 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब पेश नहीं करना गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एकनात्र खातेदार हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 6 व 8 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में संशत स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 मू. राजस्य अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चारगदिया पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 177 की आराजी न. 1553/741, 1677/741 किता 2 रकबा 0.3500 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेंटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकॉर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फंसल शुगार होकर नम्बर से कम हो। फीरा कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

